

Order No:-310L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Sadhvi Pragya Singh Thakur** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. 227 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	निमित चौकसे	श्री रवि चौकसे Mob: 9826739009	1	NO. 1 BHOPAL
2	रियांशी राठौर	श्री मुकेश राठौर Mob: 7225994462	2	SEHORE
3	प्राची परमेश्वर	श्री देवेन्द्र परमेश्वर Mob: 8827671363	1	BAIRAGARH, BHOPAL
4	आध्या झारिया	श्री नितेश झारिया Mob: 9893998572	1	NO. 1 BHOPAL
5	कनिका नागर	श्री संतोष नागर Mob: 8109379704	1	BAIRAGARH, BHOPAL
6	मुद्रा तिवारी	श्री गोपाल तिवारी Mob: 9425641565	3	NO. 1 BHOPAL
7	रोनक माली	श्री गोविन्द माली Mob: 9589760508	1	NO. 2 BHOPAL
8	जयति जोशी	श्री प्रज्ञा जोशी Mob: 7477232508	4	NO. 1 BHOPAL
9	अनुष्का निमोरे	श्रीमती प्रेमलता निमोरे Mob: 7974983025	4	NO. 2 BHOPAL
10	दुर्गा भार्गव	श्री बृजेश कुमार भार्गव Mob: 7566487566	6	CRPF BANGRASIYA BHOPAL

कृ० पू० उ०  
प. ठाकुर

निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इस प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Sadhvi Pragya Singh Thakur माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थी।
2. उपायुक्त, केविस, **BHOPAL** संभाग को सूचनार्थी। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)